



शासकीय रानी अवंतीबाई लोधी महाविद्यालय

घुमका, जिला - राजनांदगाँव (छ.ग.)



विवरणिका - वर्ष : 2018-19



सांस्कृतिक कार्यक्रम का आनन्द



शैक्षणिक भ्रमण एक झलक



व्यक्तित्व विकास पर कार्यशाला



परितोषिक वितरण एक झलक



छात्रसंघ शपथ ग्रहण समारोह



छात्रसंघ शपथ ग्रहण समारोह



मतदाता जागरुकता



रक्तदान शिविर 12 जनवरी 2018



राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर आयोजन



राष्ट्रीय एकता संकल्प



शैक्षणिक भ्रमण (फार्म हाऊस)

विवरणिका

सत्र 2018-19

दुर्ग विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.) से सम्बद्ध एवं
यू.जी.सी. 2f तथा 12 (b) के अंतर्गत मान्यता प्राप्त



शासकीय रानी अवंतीबाई लोधी महाविद्यालय

घुमका

जिला-राजनांदगाँव (छ.ग.)

फोन : (07744-288915)

email : govt.collegeghumka@gmail.com

website : www.reblcollege.com

Rs. 50.00

—: महाविद्यालय का लक्ष्य :-

1. उत्कृष्ट शिक्षा के माध्यम से अंचल के युवाओं को उन्नयन करना ।
2. विपन्न एवं कमजोर छात्रों को सुविधा उपलब्ध कराना ।
3. परामर्श एवं पुनश्चर्या कार्यक्रमों के माध्यम से स्वरोजगार की ओर अगसर करना ।
4. विद्यार्थियों को गुणवत्ता मूलक शिक्षा उपलब्ध कराना ।
5. विद्यार्थियों के जीवन निर्माण एवं कल्याण हेतु कार्य करना ।
6. नैतिक परामर्श एवं कार्यशाला का आयोजन करना ।
7. अकादमिक उत्कृष्टता एवं एकल प्रदर्शन की पहचान करना ।

रैगिंग क्या है ?

रैगिंग के अंतर्गत —

कोलाहलपूर्ण अनुचित व्यवहार करना, चिढ़ना भददे या अशिष्ट आचरण करना, उपद्रवी अनुशासनहीन क्रियाकलापों में संलग्न होना जिससे नए छात्र को गुस्सा, अनावश्यक परेशानी, शारीरिक अथवा मानसिक क्षति हो अथवा उसमें आशंका या भय बढ़ाने वाला हो, अथवा छात्र से ऐसा कार्य करने के लिए कहना, जो छात्र/छात्रा सामान्यतया नहीं कर सकता/सकती और जिससे उसे शर्म या अपमान का अनुभव होता हो अथवा उसके जीवन के लिए खतरा हो ।

कनार्टक शिक्षा अधिनियम, 1983 (कनार्टक अधिनियम नं. 1955), अनुच्छेद 2(29) के अनुसार रैगिंग की परिभाषा इस प्रकार है :-

किसी छात्र को मजाक में या किसी प्रकार से ऐसा कार्य करने के लिए कहना, प्रेरित करना या बाध्य करना, जो मानव-मर्यादा के खिलाफ हो या उसके व्यक्तित्व के विपरीत हो या जिससे वह हास्यास्पद हो जाए या डरा-धमकाकर गलत ढंग से रोक कर, गलत ढंग से बंद करके या उसे चोट पहुँचाकर या उसे इस प्रकार की धमकी, गलत अवरोध, गलत ढंग से बंदी बनाने चोट या अनुचित दबाव का भय दिखाकर वैधानिक कार्य करने से मना करना ।

रैगिंग का स्वरूप :- रैगिंग निम्नांकित रूपों (सूची केवल निर्देशात्मक है, संपूर्ण नहीं) में पायी जाती है :-

स्पष्ट आदेश :-

1. सीनियर छात्रों को सर कहने के लिए ।
2. सामूहिक कवायद करने के लिए ।
3. सीनियरों के क्लास -नोट्स उतारने के लिए ।
4. अनेक सौंपे हुए कार्य करने के लिए ।
5. सीनियरों के लिए मृत्योचित कार्य करने के लिए ।
6. अश्लील प्रश्न पूछने या उसका उत्तर देने के लिए ।
7. नये छात्रों के सीधेपन के विपरीत आघात पहुँचाने हेतु अश्लील चित्रों को देखने के लिए
8. शराब, उबलती हुई चाय, आदि पीने के लिए बाध्य करना
9. कामुक संकेतार्थ वाले कार्य, जिससे शारीरिक क्षति, मानसिक पीडा या मृत्यु तक हो सकती है
10. नंगा करना, चुंबन लेना आदि
11. अन्य अश्लीलताएं करना ।

रैगिंग में लिप्त होने पर दिये जाने वाला दण्ड —

1. प्रवेश निरस्त किया जाना ।
2. कक्षा/छात्रावास से निष्कासित किया जाना ।
3. छात्रवृत्ति अथवा अन्य सुविधा रोकना ।
4. परीक्षाओं से वंचित करना ।
5. परीक्षा परिणाम रोकना ।
6. राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय तथा युवा-उत्सव में भाग लेने पर प्रतिबंध ।
7. संस्था से रेस्ट्रिकेट किया जाना ।
8. आर्थिक दण्ड रूपये 25,000/- तक ।

प्राचार्य का संदेश

वर्ष 2018-19 के शिक्षण सत्र के शुभारंभ अवसर पर आप सभी को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं । महाविद्यालय के प्राचार्य के रूप में इस महाविद्यालय में प्रवेश पाने वाले समस्त छात्र-छात्राओं एवं उनके पालकों एवं अभिभावकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ ।

15 अगस्त 1989 को राजनांदगांव जिले के गौरव ग्राम घुमका में महाविद्यालय की स्थापना की गई । स्थानीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के भवन से प्रारंभ हुआ शासकीय रानी अवंतीबाई लोधी महाविद्यालय, घुमका आज स्वयं के भवन में स्नातक स्तर पर कला, वाणिज्य एवं विज्ञान संकायों की शिक्षा प्रदान कर रहा है, इतना ही नहीं 500-600 छात्र-छात्राओं को उच्च शिक्षा प्रदान करने वाला यह महाविद्यालय स्ववित्तीय योजनांतर्गत एम.ए. हिंदी (सेमेस्टर पद्धति) में स्नातकोत्तर उपाधि की सुविधा दे रहा है ।

विगत शैक्षणिक सत्र में महाविद्यालय प्रबंधन ने छात्र-छात्राओं के सर्वांगीण विकास एवं रोजगार उपलब्ध कराने की दृष्टि से अनेक सकारात्मक प्रयास किये हैं । व्यक्तित्व विकास पर विशेषज्ञों के व्याख्यान, यूथ-रेडक्रास, राष्ट्रीय सेवा योजना के अंतर्गत जन चेतना के कार्य एवं सांस्कृतिक, साहित्यिक प्रोत्साहन से विद्यार्थियों को लाभ मिल रहा है ।

महाविद्यालय को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से अनुदान प्राप्त होता है । महाविद्यालय में सुसज्जित कम्प्यूटर लैब, कैरियर काउंसिलिंग सेल, रिडिंग रूम, जिम की स्थापना विद्यार्थियों के कल्याणार्थ की गई है ।

विद्यार्थियों के सतत् मूल्यांकन हेतु टेस्ट परीक्षा एवं मॉडल टेस्ट परीक्षा आयोजित की जाती है । प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु कोचिंग कक्षाओं के माध्यम से उत्कृष्ट परिणाम देने में सफल हुए हैं । महाविद्यालय के अल्पसंख्यक, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति तथा जनजाति, बी.पी.एल. के छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति तथा शासन की विभिन्न योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है । खेलकूद के क्षेत्र में यहाँ के विद्यार्थियों ने अपनी नई पहचान बनाई है ।

सत्र 2017-18 से महाविद्यालय में ड्रेस कोट लागू किया गया है । इससे छात्रा-छात्राओं में अनुशासन छात्रों में एकरूपता एवं शैक्षणिक वातावरण को सम्बल मिला है । महाविद्यालय में सत्र 2017-18 से महाविद्यालय पत्रिका सचेतना का प्रकाशन का नया अध्याय शुरू हुआ है । शैक्षणिक भ्रमण, विज्ञान प्रदर्शिनी, आनंद मेला आदि विविध आयाजनों को शैक्षणिक उन्नयन तथा प्रतिभा विकास के लिये जोड़ा गया है ।

महाविद्यालय के विकास यात्रा में जनभागीदारी समिति के अध्यक्ष श्रीमती सरोजनी बंजारे, विधायक डोंगरगढ़ एवं समिति के समस्त सदस्यों के सकारात्मक एवं अपेक्षित सहयोग के लिए मैं उन सभी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ ।

डॉ. आई.आर. सोनवानी
प्राचार्य

अध्यापन - विषय एवं कक्षाएं :-

इंजीनियरिंग कक्षाएं

महाविद्यालय में कला, वाणिज्य एवं विज्ञान संकाय में स्नातक स्तर पर अध्यापन सुविधा उपलब्ध है। कला संकाय में हिंदी भाषा, अंग्रेजी भाषा, हिंदी साहित्य, राजनीति शास्त्र, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र एवं इतिहास विषय का शिक्षण होता है। वाणिज्य संकाय में महाविद्यालय में पढ़ाये जाने वाले सभी वैकल्पिक विषय एवं विज्ञान संकाय में बायों एवं गणित समूह का अध्यापन व्यवस्था है। स्नातकोत्तर स्तर पर कला संकाय के अंतर्गत हिंदी विषय में अध्यापन की सुविधा है।

समय-चक्र :-

1. विज्ञान संकाय
2. एम.ए. हिंदी (स्नातकोत्तर कक्षा)
3. कला एवं वाणिज्य संकाय

कक्षाओं में प्रवेश हेतु आवश्यक मार्गदर्शक सिद्धांत :-

1. प्रयुक्ति - ये मार्गदर्शक सिद्धांत उत्तीर्ण छात्रों के सभी शासकीय महाविद्यालय में लागू होंगे।
2. प्रवेश की तिथि -
2.1 प्रवेश हेतु आवेदन पत्र जमा करना :-

महाविद्यालय में प्रवेश के लिए महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा आवेदन पत्र समस्त प्रमाण पत्रों सहित निर्धारित दिनांक तक जमा किये जायेंगे। विभिन्न कक्षाओं में प्रवेश के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा सूचना पटल पर कम से कम सात दिनों के पूर्व लगाई जावेगी। बोर्ड/विश्वविद्यालय द्वारा अंकसूची प्रदान न किये जाने की स्थिति में पूर्व संस्था के संबंधित प्राचार्य द्वारा प्रमाणित किये जाने पर बिना अंकसूची आवेदन पत्र जमा किये जा सकेंगे।

2.2 प्रवेश हेतु अंतिम तिथि निर्धारित करना :-

स्थानांतरण प्रकरण को छोड़कर 30 जुलाई तक प्राचार्य स्वयं तथा 14 अगस्त तक कुलपति की अनुमति से प्राचार्य प्रवेश देने में सक्षम होंगे। परीक्षा परिणाम विलंब से घोषित होने की स्थिति में प्रवेश की अंतिम तिथि महाविद्यालय में परीक्षा परिणाम प्राप्त होने की तिथि से 10 दिन तक अथवा विश्वविद्यालय/बोर्ड द्वारा परीक्षा परिणाम घोषित होने की तिथि से 15 दिन तक, जो भी पहले हो मान्य होगी। कड़िका 5.1 (क) में उल्लेखित कर्मचारियों के स्थानांतरित होने पर प्रवेश की अंतिम तिथि के बाद प्रवेश चाहने वाले उनके पुत्र/पुत्रियों को स्थान रिक्त होने पर सत्र के दौरान प्रवेश दिया जायेगा। किन्तु कर्मचारी द्वारा कार्यभार ग्रहण करने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने एवं आवेदन का प्रवेश हेतु निर्धारित तिथि के पूर्व अन्य महाविद्यालय में प्रवेश होने पर ही प्रवेश दिया जायेगा।

2.3 पुर्नमूल्यांकन में उत्तीर्ण छात्रों के पुर्नमूल्यांकन के परिणाम घोषित होने के 15 दिनों तक संबंधित विश्वविद्यालय के कुलपति की अनुमति के पश्चात् गुणानुक्रम में आने पर प्रवेश की पात्रता होगी।

2.4 स्नातक/स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में प्रवेश पूरक परीक्षा में उत्तीर्ण छात्रों को भी स्थान रिक्त होने पर गुणानुक्रम के आधार पर कड़िका 2.2 में उल्लेखित प्रावधान अनुसार निर्धारित तिथि तक प्रवेश पात्रता होगी।

3. प्रत्येक कक्षा के लिये सीट संख्या एवं अध्यापन के विषयों का निर्धारण :-

3.1 महाविद्यालय में उपलब्ध साधनों तथा कक्ष में बैठने की व्यवस्था, प्रयोगशाला में उपलब्ध उपकरण/उपयोग योग्य सामग्री एवं स्टाफ की उपलब्धता आदि तथा शासन की अनुमति के आधार पर विभिन्न कक्षाओं के लिए निम्नानुसार प्रवेश संख्या निर्धारित है :-

कक्षा	सीट संख्या
1. बी.ए. भाग-1	140
2. बी. कॉम. भाग-1	80
3. बी.एस.सी. भाग-1 (बॉयो.)	60
4. बी.एस.सी. भाग-1 (गणित)	60
5. एम.ए. हिंदी	40

3.2 प्रत्येक कक्षा के लिए अध्ययन विषय/विषय पर समूह का निर्धारण निम्नानुसार है -

बी.ए. भाग-1

1. अनिवार्य विषय - आधार पाठ्यक्रम (हिंदी भाषा, अंग्रेजी भाषा) एवं पर्यावरण अध्ययन
2. वैकल्पिक विषय - (कोई-तीन)
 1. समाजशास्त्र
 2. राजनीति शास्त्र
 3. हिंदी साहित्य
 4. अर्थशास्त्र
 5. इतिहास

बी. कॉम. भाग-1

1. अनिवार्य विषय-आधार पाठ्यक्रम (हिंदी भाषा, अंग्रेजी भाषा) एवं पर्यावरण अध्ययन
2. वैकल्पिक विषय - महाविद्यालय में पढ़ाये जाने वाले सभी विषय

बी.एस.सी. भाग-1 (बॉयोलाजी ग्रुप)

1. अनिवार्य विषय - आधार पाठ्यक्रम (हिंदी भाषा, अंग्रेजी भाषा) एवं पर्यावरण अध्ययन
2. वैकल्पिक विषय - प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, रसायन शास्त्र

बी.एस.सी. भाग-1 (गणित ग्रुप)

1. अनिवार्य विषय - आधार पाठ्यक्रम (हिंदी भाषा, अंग्रेजी भाषा) एवं पर्यावरण अध्ययन
2. वैकल्पिक विषय - गणित, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र

एम.ए. हिंदी (सेमेस्टर पद्धति) - 1. सभी अनिवार्य विषय - (चार सेमेस्टर)
(जनभागीदारी योजनांतर्गत)

प्रवेश सूची : -

- 4.1 प्राचार्य द्वारा प्रवेश शुल्क जमा करने की निर्धारित अंतिम तिथि की सूचना देते हुए चयनित विद्यार्थियों द्वारा अर्हकारी परीक्षा में प्राप्तांकों एवं जहां अधिभार देय है, वहाँ अधिभार देकर कुल प्राप्तांकों की गुणानुक्रम सूची प्रतिशत अंक सहित सूचना-पटल पर लगाई जायेगी ।
- 4.2 प्रवेश समिति द्वारा आवश्यक संलग्न प्रमाणपत्रों की प्रतियों को मूल प्रमाण पत्रों से मिलाकर प्रमाणित किये जाने के उपरान्त एवं जहां आवश्यक हो स्नानांतरण प्रमाण पत्र की मूल प्रति जमा करने के पश्चात ही प्रवेश शुल्क जमा करने की अनुमति दी जावेगी ।
- 4.3 निर्धारित शुल्क जमा करने पर ही महाविद्यालय में प्रवेश मान्य होगा । प्रवेश के पश्चात् स्थानांतरण प्रमाण पत्र की मूलप्रति निरस्त की सील लगाकर अनिवार्य रूप से निरस्त कर दिया जायेगा ।
- 4.4 प्रवेश सूची की अंतिम तिथि के बाद स्थान रिक्त होने पर सभी कक्षाओं में नियमानुसार प्रवेश हेतु विलम्ब शुल्क रूपये 100/- अशासकीय मद में अतिरिक्त रूप से वसूला जायेगा । तथापि ऐसे प्रकरण में 30 जुलाई के पश्चात की अनुमति नहीं दी जायेगी ।

5. प्रवेश की पात्रता -

5.1 निवासी एवं अर्हकारी परीक्षा :-

- (क) छ.ग. के मूल/स्थायी छ.ग. में स्थायी संपत्तिधारी निवासी/राज्य केन्द्र सरकार के शासकीय कर्मचारी, अर्ध शासकीय कर्मचारी तथा प्रायवेट लिमिटेड कंपनी के कर्मचारी, राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा भारत सरकार द्वारा संचालित व्यवसायिक संगठनों के कर्मचारी, जिनका पदांकन छ.ग. में हो, उनके पुत्र/पुत्रियों एवं जम्मू कश्मीर के विस्थापितों तथा उनके आश्रितों को ही शासकीय महाविद्यालयों में प्रवेश दिया जायेगा । उपर्युक्तानुसार प्रवेश देने के पश्चात भी स्थान रिक्त होने पर अन्य स्थानों के बोर्ड एवं अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थियों को नियमानुसार गुणानुक्रम के आधार पर प्रवेश दिया जा सकता है ।
- (ख) संबद्ध विश्वविद्यालय से या संबद्ध विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालयों और विश्वविद्यालयों से अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को ही महाविद्यालय में प्रवेश की पात्रता होगी ।

5.2 स्नातक स्तर नियमित प्रवेश -

- (क) 1. 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को स्नातक स्तर प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश दी पात्रता होगी । किन्तु वाणिज्य और कला संकाय के विद्यार्थियों को विज्ञान संकाय में प्रवेश नहीं दिया जायेगा । 10+2 परीक्षा का तात्पर्य छ.ग. माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा आयोजित या विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य राज्यों के विद्यालयों इंटरमीडियट बोर्ड समकक्ष परीक्षा से है ।
2. विज्ञान संकाय में गणित/जीवविज्ञान में प्रवेश हेतु आवेदित विज्ञान विषय लेकर उत्तीर्ण हो ।
3. वाणिज्य संकाय में प्रवेश हेतु वाणिज्य/विज्ञान/गणित या सांख्यिकी के साथ कला संकाय विषय लेकर /कला संकाय के अन्य विषय समूह लेकर उत्तीर्ण छात्रों को वाणिज्य संकाय में प्रवेश की पात्रता होगी ।
4. कला संकाय प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को नियमित प्रवेश की पात्रता होगी कृषि/गृह विज्ञान अन्य विषय समूह लेकर आवेदकों को केवल कला संकाय में प्रवेश की पात्रता होगी ।
- (ख) स्नातक स्तर की प्रथम/द्वितीय परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को उन्ही विषयों की क्रमशः द्वितीय/तृतीय वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी ।

5.3 प्रवेश हेतु अर्हकारी परीक्षा में न्यूनतम अंक सीमा :-

- (क) स्नातक एवं स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु अर्हकारी परीक्षा में पूर्णांक का न्यूनतम अंक 50% एवं सैद्धांतिक विषयों में पूर्णांक का 45% अंक प्राप्त आवेदकों को नियमित प्रवेश की पात्रता होगी ।
- (ख) स्थान रिक्त रह जाने की स्थिति में महाविद्यालय के प्राचार्य कंडिका 5.4 (क) में निर्धारित न्यूनतम अंक सीमा में रिक्त स्थानों की पूर्ति तक आवश्यक शिथिलता प्रदान कर प्रवेश देने के लिए अधिकृत रहेंगे न्यूनतम अंक सीमा में अधिकतम 5% तक ।
- (ग) प्रवेश के लिए न्यूनतम अंक सीमा केवल प्रथम वर्ष स्नातक/स्नातकोत्तर कक्षाओं के लिए ही है । अगली कक्षा में प्रवेश हेतु यह न्यूनतम अंक सीमा लागू नहीं होगी ।
- (घ) अ.जा./अ.ज.जा./पिछड़ा वर्ग (चिकनी परत को छोड़कर) के आवेदकों को पात्रता हेतु निर्धारित न्यूनतम अंक सीमा में प्राचार्य द्वारा प्रदान की गई शिथिलता के पश्चात निर्धारित न्यूनतम अंक सीमा में 5% छूट प्रदान की जायेगी । परन्तु एम.एस.सी. पूर्व में प्रवेश हेतु 5% से अधिक नहीं होगी ।

6. समकक्ष परीक्षा :-

- 6.1 सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेण्डरी (सी.बी.एस.ई.) इंडियन कौंसिल फार सेकेण्डरी एजुकेशन (आई.सी.एस.ई.) तथा

राज्यों के स्कूल/इंटरमीडियट बोर्ड की 10+2 परीक्षाएं छ.ग. माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10+2 परीक्षा के समकक्ष मान्य होगी ।

6.2 सामान्यतया भारत में स्थित विश्वविद्यालय जो भारतीय वि.वि. संघ (एसोशियन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी) के सदस्य हैं, उनकी समस्त परीक्षाएं छ.ग. के वि.वि. की परीक्षाओं के समकक्ष मान्य हैं, उस्मानिया एवं काकतीय विश्वविद्यालय की बी.ए./बी.कॉम. (डायरेक्ट) वन सीटिंग परीक्षा मान्य नहीं है ।

6.3 संबद्ध विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों या शिक्षण संस्थाओं की सूची एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा समय-समय पर जारी फर्जी अथवा मान्यता विहीन विश्वविद्यालय या शिक्षण संस्थाओं, जिनकी परीक्षा उपाधि मान्य है उन्हीं को प्रवेश की पात्रता होगी ।

7. बाह्य आवेदकों को प्रवेश :-

7.1 स्नातक स्तर (द्वितीय एवं तृतीय वर्ष) के छ.ग. के किसी भी विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण आवेदकों को महाविद्यालय में उपलब्ध विषयों के आधार पर प्रवेश दिया जा सकेगा । आवश्यकतानुसार विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा ।

8. अस्थायी प्रवेश की पात्रता :-

अस्थायी प्रवेश की पात्रता रखने वाले विद्यार्थियों को प्रवेश हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व अस्थायी प्रवेश लेना अनिवार्य होगा ।

8.1 स्नातक स्तर प्रथम/द्वितीय वर्ष की परीक्षा में एक विषय में पूरक परीक्षा प्राप्त आवेदकों को अगली कक्षा में अस्थायी प्रवेश की पात्रता होगी ।

8.2 उपर्युक्त कंडिका 7 के खंड 1 एवं 2 के आवेदकों को अस्थायी प्रवेश की पात्रता नहीं होगी ।

8.3 पूरक परीक्षा अनुत्तीर्ण अस्थायी प्रवेश प्राप्त छात्र/छात्राओं का अस्थायी प्रवेश स्वतः निरस्त हो जायेगा उत्तीर्ण होने पर अस्थायी प्रवेश नियमित प्रवेश के रूप में मान्य होगा ।

9. प्रवेश हेतु अर्हताएं :-

9.1 किसी भी महाविद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग के किसी संकाय की कक्षा में होने वाले छात्र/छात्राओं को उसी संकाय की उसी कक्षा में पुनः नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी । यदि किसी छात्र ने पूर्व-सत्र में आवेदित कक्षा में नियमित प्रवेश नहीं लिया हो तो ऐसा आवेदक नियमित प्रवेश हेतु नहीं माना जायेगा । उसे मात्र मूल स्थानांतरण प्रमाण पत्र तथा शपथ पत्र जिससे प्रमाणित हो कि पूर्व में उसने प्रवेश नहीं लिया है, के आधार पर ही नियमानुसार प्रवेश दिया जायेगा ।

9.2 जिनके विरुद्ध न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया हो या न्यायालय में अपराधिक प्रकरण चल रहे हों/परीक्षा में या पूर्व सत्र में छात्रों/अधिकारियों/कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार/मारपीट करने के गंभीर आरोप हों/चेतावनी देने के बाद सुधार परिलक्षित नहीं हुआ हो, ऐसे छात्र/छात्राओं को प्रवेश नहीं देने के लिए प्राचार्य अधिकृत हैं ।

9.3 महाविद्यालय में तोड़-फोड़ करने और महाविद्यालय की संपत्ति को नष्ट करने वाले/रैगिंग के आरोपी छात्र/छात्राओं को प्राचार्य प्रवेश न देने के लिए अधिकृत है ।

9.4 स्नातक स्तर पर 22 वर्ष एवं स्नातकोत्तर स्तर पर 27 वर्ष से अधिक आयु के आवेदकों को प्रवेश की पात्रता नहीं होगी । अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़े वर्ग/विकलांग आवेदकों के लिये आयु सीमा में तीन वर्ष की छूट रहेगी । आयु की गणना एक जुलाई के आधार पर की जावेगी ।

9.5 पूर्ण कालिक शासकीय/अशासकीय सेवारत कर्मचारी को उनकी दैनिक कार्य की अवधि में लगने वाले महाविद्यालय में नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी । दैनिक कर्तव्य अवधि के उपरांत लगने वाले महाविद्यालय में प्रवेश हेतु आवेदन करने पर आवेदक द्वारा नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र

प्रस्तुत करने के बाद ही प्रवेश दिया जायेगा ।

9.6 किसी संकाय में स्नातक उपाधि प्राप्त छात्र/छात्राओं को अन्य संकायों के स्नातक पाठ्यक्रम में नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी ।

10. प्रवेश हेतु गुणानुक्रम का निर्धारण :-

10.1 उपलब्ध स्थानों से अधिक आवेदक होने पर प्रवेश नियमानुसार गुणानुक्रम से किया जायेगा ।

10.2 स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश हेतु अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांक एवं जहाँ अधिभार देय है, तो अधिभार जोड़कर प्राप्त कुल प्रतिशत अंकों के आधार पर गुणानुक्रम निर्धारित किया जायेगा ।

10.3 अनारक्षित एवं आरक्षित वर्गों के लिए अलग-अलग गुणानुक्रम सूची तैयार की जावेगी ।

11. प्रवेश हेतु प्राथमिकता :-

11.1 प्रथम वर्ष स्नातक में प्रवेश हेतु प्राथमिकता के आधार पर सर्वप्रथम अर्हकारी परीक्षा में उत्तीर्ण नियमित एवं भूतपूर्व नियमित परीक्षार्थी छात्र, तत्पश्चात् स्थान रिक्त होने पर स्वध्यायी उत्तीर्ण छात्रों को प्रवेश दिया जायेगा ।

11.2 स्नातक अगली कक्षाओं में उपर्युक्त प्राथमिकता में उत्तीर्ण नियमित एवं भूतपूर्व नियमित परीक्षार्थी छात्रों के बाद एक विषय में पूरक प्राप्त पूर्व सत्र के नियमित छात्रों को प्रवेश में प्राथमिकता दी जावेगी । अन्य क्रम यथावत रहेगा

11.3 आवेदक द्वारा अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण करने के स्थान उसके निवास स्थान तहसील/जिला में स्थित या आस-पास के अन्य जिलों के समीपस्थ स्थानों पर स्थित महाविद्यालयों में आवेदित विषय/विषय समूह के अध्यापन की सुविधा उपलब्ध है तो ऐसे आवेदकों पर विचार न करते हुए उस विषय/विषय समूह में प्रवेश हेतु प्राचार्य अपने नगर/तहसील/जिला की सीमा से लगे अन्य जिलों के समीपस्थ स्थानों के आवेदकों को प्राथमिकता देते हुए प्रवेश दे सकते हैं। आवेदकों के निवास स्थान/तहसील/जिला में स्थित या आस-पास के अन्य जिलों के समीपस्थ स्थित महाविद्यालयों में आवेदित विषय/समूह के अध्ययन की सुविधा नहीं होने पर उन्हें गुणानुक्रम से प्रवेश दिया जायेगा ।

2. आरक्षण : -

छ.ग. शासन की आरक्षण नीति के अनुरूप निम्नानुसार होगा -

12.1 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के आवेदकों के लिए क्रमशः 12% एवं 32% स्थान आरक्षित होंगे इन दोनों वर्गों के स्थान पर आपस में परिवर्तनीय होगा ।

12.2 पिछड़े वर्ग (चिकनी परत को छोड़कर) के आवेदकों के लिए 14% स्थान आरक्षित रहेंगे ।

12.3 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के पुत्र-पुत्रियों एवं उनके पुत्र-पुत्रियों तथा विकलांग श्रेणी के आवेदकों के लिए संयुक्त रूप से 3% स्थान आरक्षित रहेंगे । विकलांग आवेदकों को प्राप्तांक का 10% अधिभार अंको को देकर दोनों वर्गों का सम्मिलित गुणानुक्रम निर्धारित किया जायेगा ।

12.4 सभी वर्गों में उपलब्ध स्थानों में से 30% स्थान महिला छात्राओं के लिए होंगे ।

12.5 आरक्षित श्रेणी का कोई उम्मीदवार अधिक अंक पाने के कारण सामान्य श्रेणी (ओपन काम्पीटिशन) में नियमानुसार मेरिट सूची में रखा जाता है, तो आरक्षित श्रेणी की सीटें यथावत अप्रभावित रहेगी । परन्तु यदि ऐसा विद्यार्थी किसी संवर्ग जैसे-स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, सैनिक आदि का भी है तो संवर्ग की यह सीट उस आरक्षित श्रेणी में भरी मानी जावेगी और शेष संवर्ग भरी जायेगी ।

12.6 आरक्षित स्थान का प्रतिशत $1/2$ से कम आता है तो आरक्षित स्थान उपलब्ध नहीं होगा । $1/2$ प्रतिशत एवं 1 प्रतिशत के बीच आने वाले पर आरक्षित स्थान की संख्या एक होगी ।

12.7 प्रवेश की निर्धारित तिथि तक आरक्षित स्थानों के लिए पर्याप्त छात्र छात्राएं उपलब्ध न होने पर आरक्षित स्थान अनारक्षित श्रेणी के आवेदकों के लिए उपलब्ध रहेंगे ।

12.8 समय-समय पर शासन द्वारा जारी आरक्षण नियमों का पालन किया जायेगा ।

13. अधिभार :-

अधिभार मात्र गुणानुक्रम निर्धारण के लिए ही प्रदान किया जायेगा, पात्रता प्राप्ति हेतु इसका उपयोग नहीं किया जायेगा। अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांकों के प्रतिशत पर ही अधिभार देय होगा । अधिभार हेतु समस्त प्रमाण पत्र प्रवेश आवेदन पत्र के साथ ही संलग्न करना अनिवार्य है । आवेदन पत्र जमा करने के पश्चात बाद में लाये जाने वाले/जमा किये जाने वाले प्रमाण पत्रों पर अधिभार हेतु विचार नहीं किया जायेगा । एक से अधिक अधिभार प्राप्त होने पर मात्र सर्वाधिक अधिभार ही देय होगा ।

13.1 एन.सी.सी./एन.एस.एस./स्काउट्स

स्काउट शब्द को स्काउट्स/गाइड्स/रेन्जर्स/रावर्स के अर्थ में पढा जाये ।

- | | | | |
|------|--|---|------------|
| (क) | एन.एस.एस./एन.सी.सी. ए सर्टिफिकेट | - | 2 प्रतिशत |
| (ख) | एन.एस.एस./एन.सी.सी. बी सर्टिफिकेट | - | 3 प्रतिशत |
| | सर्टिफिकेट या द्वितीय सोपान उत्तीर्ण स्काउट्स | | |
| (ग) | सी सर्टिफिकेट या तृतीय सोपान उत्तीर्ण स्काउट्स | - | 4 प्रतिशत |
| (घ) | राज्य स्तरीय (संचालनालयीन एन.सी.सी. प्रतियोगिता में गुप का प्रतिनिधित्व करने वाले छात्रों का) | - | 4 प्रतिशत |
| (च) | नई दिल्ली के गणतंत्र दिवस परेड में छ.ग. के एन.सी.सी./एन.एस.एस. कन्टिजेन्ट में भाग लेने वाले विद्यार्थी का | - | 5 प्रतिशत |
| (छ) | राज्यपाल स्काउट्स | - | 5 प्रतिशत |
| (ज) | राष्ट्रपति स्काउट्स | - | 10 प्रतिशत |
| (झ) | छ.ग. के सर्वश्रेष्ठ अवार्ड प्राप्त एन.सी.सी. कैंडेट | - | 15 प्रतिशत |
| (य) | ड्यूक ऑफ एडिनवर्ग अवार्ड प्राप्त एन.सी.सी. कैंडेट | - | 15 प्रतिशत |
| (र) | भारत एवं अन्य राष्ट्रों के मध्य युथ एक्सचेंज प्रोग्रम एन.सी.सी. के तहत चयनित एवं प्रवास करने वाले कैंडेट को अंतर्राष्ट्रीय के लिए चयनित करने वाले स्काउट्स को | - | 15 प्रतिशत |
| 13.2 | खेलकूद/साहित्यिक सांस्कृतिक/क्विज/रूपांकन प्रतियोगिताएं - | | |
| (1) | लोक शिक्षण संचालनालय अथवा छ.ग. उच्च शिक्षा संचालनालय आयोजित अन्तर जिला (संभाग स्तर) अथवा केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा आयोजित अंतर (संभाग/क्षेत्र स्तर) प्रतियोगिता में - | | |
| | (क) प्रथम द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त टीम के प्रत्येक सदस्य को | - | 2 प्रतिशत |
| | (ख) व्यक्तिगत प्रतियोगिता में उपर्युक्त स्थान प्राप्त करने वाले को | - | 4 प्रतिशत |
| (2) | उपर्युक्त कंडिका 13.1 (उल्लेखित संचालनालयों द्वारा आयोजित अंतर क्षेत्रीय, राष्ट्रीय) प्रतियोगिता में अथवा भारतीय विश्वविद्यालयों संघ (ए.आई.यू.) द्वारा आयोजित क्षेत्रिय प्रतियोगिता में - | | |

	(क) प्रथम द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त टीम के प्रत्येक सदस्य को	-	6 प्रतिशत
	(ख) व्यक्तिगत प्रतियोगिता में उपर्युक्त स्थान प्राप्त करने वाले को	-	7 प्रतिशत
	(ग) संभाग/क्षेत्र को प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतियोगी को	-	5 प्रतिशत
(3)	भारतीय विश्वविद्यालय संघ द्वारा आयोजित संसदीय कार्य मंत्रालय सरकार द्वारा आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में -		
	(क) प्रथम द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त टीम के प्रत्येक सदस्य को	-	15 प्रतिशत
	(ख) व्यक्तिगत प्रतियोगिता में उपर्युक्त स्थान प्राप्त करने वाले को	-	10 प्रतिशत
13.3	भारत एवं अन्य राष्ट्रों के मध्य युथ अथवा साइंस कल्चर एक्सचेंज प्रोग्रम के तहत (विज्ञान/सांस्कृतिक साहित्यिक/कला क्षेत्र में) चयनित एवं प्रवास करने वाले दल के सदस्य को	-	10 प्रतिशत
13.4	छ.ग. शासन से मान्यता प्राप्त खेल संघ द्वारा आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिता में		
	(क) छ.ग./म.प्र. का प्रतिनिधित्व करने वाली छ.ग. की टीम के सदस्यों को -	-	10 प्रतिशत
	(ख) प्रथम द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली छ.ग. की टीम के सदस्य को-	-	12 प्रतिशत
13.5	जम्मू कश्मीर के विस्थापितों एवं उनके आश्रित को	-	01 प्रतिशत
13.6	विशेष प्रोत्साहन -		

एन.सी.सी. के राष्ट्रीय स्तर के सर्वश्रेष्ठ कैंडेड्स तथा ऑलम्पियाड/एशियाड/स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित खेल प्रतियोगिता में भाग लेने वाले विद्यार्थियों बगैर गुणानुक्रम के आगामी शिक्षा सत्र में उन कक्षाओं में प्रवेश दिया सकेगा, जिनकी उन्हें पात्रता है।

1. इस प्रकार के प्रमाण पत्रों को संचालक, खेल संचालक, खेल एवं युवक कल्याण छ.ग. द्वारा अभिप्रमाणित किया गया हो एवं
2. यह सुविधा केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को मिलेगी जिन्होंने निर्धारित समयावधि के अंतर्गत अपना अभ्यावेदन महाविद्यालय में प्रस्तुत किया है परन्तु इस प्रकार की सुविधा दूसरी बार प्राप्त करने के लिए उन्हें उपलब्धि पुनः प्राप्त करना आवश्यक होगा।

13.7 प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु स्कूल स्तर के पिछले 4 क्रमिक सत्र तक के प्रमाण पत्रों, स्नातकोत्तर प्रथम प्रवेश हेतु विगत क्रमिक सत्र तक के प्रमाण पत्र अधिभार हेतु मान्य किये जायेंगे। स्नातक द्वितीय, तृतीय एवं स्नातकोत्तर द्वितीय में प्रवेश हेतु पूर्व सत्र के प्रमाण पत्र अधिभार हेतु सत्र के प्रमाण पत्र हेतु मान्य होंगे।

4. संकाय/विषय/गुप परिवर्तन :-

- (क) यदि कोई विद्यार्थी स्नातक/स्नातकोत्तर प्रथम में अर्हकारी परीक्षा के संकाय/विषय/गुप परिवर्तन कर प्रवेश चाहे तो उसके प्राप्तांकों से 5 प्रतिशत घटाकर उनका गुणानुक्रम निर्धारित किया जायेगा। अधिभार घटे हुए प्राप्तांकों पर देय होगा।
- (ख) महाविद्यालय में स्नातक/स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में एक बार प्रवेश लेने के बाद वर्तमान सत्र के दौरान संकाय विषय/गुप परिवर्तन की अनुमति 30 सितम्बर या विलम्ब से मुख्य परीक्षा परिणाम आने पर कंडिका 2.2 में निर्देशित प्रवेश की तिथि से 15 दिन तक ही दी जायेगी। यह अनुमति उन्ही विद्यार्थियों को देय होगी जिनको प्राप्तांक संबंधित विषय/संकाय की मूल गुणानुक्रम सूची में अंतिम प्रवेश पाने वाले विद्यार्थियों के समकक्ष या उससे अधिक हों।

15. विशेष :-

- 15.1 जाली प्रमाण पत्रों, गलत जानकारी, जानबूझकर छिपाये गये प्रतिकूल तथ्यों, प्रकाशकीय अथवा कार्यालयीन असावधानीवश यदि किसी आवेदक को प्रवेश मिल गया है तब ऐसे प्रवेश को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार प्राचार्य को है ।
- 15.2 प्रवेश लेकर किसी समुचित कारण, पूर्व अनुमति या सूचना के बिना लगातार एक माह या अधिक समय तक अनुपस्थित रहने वाले विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त करने का अधिकार प्राचार्य को है ।
- 15.3 प्रवेश के बाद सत्र के दौरान कंडिका 9.4 एवं 9.5 में वर्णित अनुशासनहीनता के प्रकरणों में लिप्त विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त अथवा उसे निष्कासित करने का अधिकार प्राचार्य को है ।
- 15.4 प्रवेश के बाद विद्यार्थी द्वारा महाविद्यालय छोड़ देने अथवा उसका प्रवेश निरस्त होने अथवा निष्कासन किये जाने की स्थिति में विद्यार्थी को संरक्षित निधि के अतिरिक्त अन्य कोई वापस नहीं किया जायेगा
- 15.5 प्रवेश के मार्गदर्शक सिद्धांतों के स्पष्टीकरण या प्रवेश संबंधी किसी प्रकरण में मार्गदर्शन की आवश्यकता होने पर, प्राचार्य प्रकरण में अनिवार्य रूप से स्पष्ट टीप व अभिमत देते हुए स्पष्टीकरण/मार्गदर्शन आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, छत्तीसगढ़ शासन से प्राप्त करेंगे, प्रवेश संबंधी किसी भी प्रकरण को केवल अग्रेषित लिखकर प्रेषित न किया जाये ।
- 15.6 इन मार्गदर्शक सिद्धांतों में उल्लेखित प्रावधानों करने का अधिकार आयुक्त उच्च शिक्षा को है । इन मार्गदर्शक सिद्धांत में समय-समय पर परिवर्तन/संशोधन/निरसर/संलग्न का संपूर्ण अधिकार छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय को होगा ।

16. प्रवेश हेतु आवेदन पत्र :-

जाली प्रमाण पत्रों, गलत जानकारी, जानबूझकर छिपाये गये प्रतिकूल छात्र-छात्राओं को आवेदन महाविद्यालय के निर्धारित प्रपत्र में देना होगा । जिसे कार्यालय से आवश्यक शुल्क देने के बाद प्राप्त किया जा सकता है । आवेदन पत्र के साथ निम्न प्रमाण पत्रों को संलग्न करना आवश्यक करना है । इसके अभाव में आवेदन अस्वीकार कर दिया जावेगा ।

1. स्थानांतरण प्रमाण पत्र तथा चरित्र प्रमाण पत्र की मूलप्रति (केवल उन्ही आवेदक के लिए जो गत वर्ष महाविद्यालय के नियमित छात्र नहीं थे ।)
2. नये छात्र छात्राओं के लिए पासपोर्ट साइज फोटो की दो प्रतियां (एक आवेदक के लिए निर्धारित स्थान पर चिपकाएं तथा दूसरी प्रति परिचय पत्र के लिए यूपिन से या आलपीन से लगायें) गत वर्ष के छात्र अपना परिचय पत्र नवीनीकरण हेतु संलग्न करें ।
3. उच्चतर माध्यमिक परीक्षा के प्रमाण पत्र, अंकसूची की प्रमाणित सत्य सत्यलिपि भाग-1 में प्रवेश हेतु ।
4. अंकसूची की फोटो कापी ।
5. चरित्र संबंधी नवीनतम दो प्रमाण पत्र (दो सम्मानीय व्यक्तियों से लिए गए) । ये प्रमाण पत्र केवल उन्ही छात्रों द्वारा प्रस्तुत किये जाने हैं जिन्होंने गत परीक्षा स्वाध्यायी (प्राइवेट) परीक्षा के रूप में उत्तीर्ण की है ।
6. नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र (केवल उन्ही छात्र/छात्राओं के लिए आवश्यक है जो सेवारत हैं) ।
7. प्रवजन प्रमाण पत्र (माईग्रेशन सर्टिफिकेट) यदि आवेदक सिकी अन्य विश्वविद्यालय/बोर्ड से आया है ।
8. अनुसूचित जाति/जनजाति/पिछड़ा वर्ग/विकलांग छात्र/माता पिता के मध्यप्रदेश शासन में तृतीय अथवा चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी होने का प्रमाण पत्र ।
9. मृत शासकीय कर्मचारी के पुत्र होने का प्रमाण पत्र ।
10. गैप होने पर छात्र का शपथ-पत्र निम्नलिखित प्रारूप में देना होगा । (गैप वर्षों के लिए)

// शपथ पत्र का प्रारूप //

मैं आत्मज/आत्मजा यह
पता ग्राम/वार्ड निवासी पता

शपथ पूर्वक घोषणा करता/करती हूँ कि -

1. मैंने सत्र से सत्र किसी भी महाविद्यालय में प्रवेश नहीं लिया हूँ ।
2. मैंने इस दौरान उपर्युक्त अवधि में किसी भी विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयीन में परीक्षा के लिए न तो कभी आवेदन किया हूँ और न ही परीक्षा में बैठा/बैठी हूँ ।

गवाह के हस्ताक्षर -

1.
2.

शपथकर्ता के हस्ताक्षर

17. प्रवेश शुल्क :-

महाविद्यालय में प्रवेश प्राप्त करने वाले छात्र-छात्राओं को शासकीय, अशासकीय एवं विश्वविद्यालयीन शुल्क देय होंगे जो निम्नानुसार हैं :-

(अ) शासकीय शुल्क :-

1	शिक्षण शुल्क स्नातक / स्नातकोत्तर	115.00 / 126.00
2	प्रवेश शुल्क	3.00
3	स्टेशनरी शुल्क	2.00
4	प्रायोगिक शुल्क (केवल विज्ञान संकाय हेतु)	20.00

(ब) अशासकीय शुल्क :-

1	छात्रसंघ शुल्क	50.00
2	निर्धन छात्र कल्याण शुल्क	2.00
3	परिचय-पत्र	50.00
4	महाविद्यालयीन विकास शुल्क	50.00
5	सायकल स्टैण्ड	25.00
6	सम्मिलित निधि (यूनियन गतिविधियां 20/- क्रीड़ा 12/-)	32.00
7	सोशल गेदरिंग	50.00
8	चिकित्सा शुल्क	3.00
9	पुस्तकालय (स्नातक) / स्नातकोत्तर	20.00 / 30.00
10	छात्र कामन रूम (वाचनालय इत्यादि)	50.00
11	महाविद्यालय प्रबंधन समिति अतिरिक्त विकास शुल्क स्नातक स्तर (ज.भा.)	450.00
12	महाविद्यालय प्रबंधन समिति अतिरिक्त विकास शुल्क स्नातकोत्तर स्तर (ज.भा.)	400.00
13	सामूहिक बीमा योजना (समूह बीमा - 11/- + 2/- सर्विस टैक्स)	13.00
14	रेडक्रास	25.00
15	टेस्ट परीक्षा	50.00
16	छात्र कल्याण शुल्क	20.00
17	कम्प्यूटर शुल्क (ज.भा.)	50.00
18	विश्व विद्यालय शारीरिक कल्याण शुल्क	150.00

(स) सुरक्षा निधि (CAUTION MONEY) :- (महाविद्यालय छोड़ने पर वापस की जाती है)

1	बी.ए. बी.कॉम. एवं बी.एस.सी. (भाग-एक, दो, तीन)	60.00
2	एम.ए. हिंदी (प्रथम सेमेस्टर)	100.00 - 40
3	जनभागीदारी महाविद्यालय प्रबंध समिति अध्ययन व्यवस्था स्नातक	2500.00
	स्नातकोत्तर	2500.00 ✓

(द) विश्वविद्यालयीन शुल्क :-

1	विश्वविद्यालयीन शारीरिक शिक्षा शुल्क	150.00
2	विश्वविद्यालयीन नामांकन शुल्क (ऑफलाइन के लिए)	100.00
3	विश्वविद्यालयीन नामांकन आवेदन शुल्क (ऑफलाइन के लिए)	50.00
	टीप :- केवल उन विद्यार्थियों को यह शुल्क देय होगा जिनका रविशंकर विश्वविद्यालय में नामांकन नहीं हुआ है अथवा परीक्षा में अमहाविद्यालयीन छात्र-छात्रा के रूप में सम्मिलित हुए हैं -	
	(अ) विलम्ब शुल्क (1 अक्टूबर से)	100.00
	(ब) अधिशुल्क (1 जनवरी से प्रतिमाह)	5.00
4.	नाम/उपनाम में परिवर्तन शुल्क	250.00
5.	अप्रवासन शुल्क (यदि आवेदक ने छत्तीसगढ़ के बाहर के किसी विश्वविद्यालयीन अथवा बोर्ड से अंतिम परीक्षा उत्तीर्ण की है तथा विदेशी छात्रों से) -	-
6.	विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित परीक्षा शुल्क - (माह अक्टूबर-नवम्बर माह में देय होगा)	-

नोट -

1. सभी प्रकार के शुल्कों में छत्तीसगढ़ शासन/रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय/महाविद्यालय द्वारा पारित किया जा सकता है ।
2. प्रत्येक छात्र को प्रवेश मिलने पर शैक्षणिक शुल्क सम्पूर्ण सत्र के लिए अनिवार्य है । महाविद्यालय में प्रवेश की तिथि या महाविद्यालय छोड़ने की तिथि से इसका कोई संबंध नहीं है । केवल छत्तीसगढ़ के किसी अन्य शासकीय संस्था में स्थानांतरण के आधार पर प्रवेश होने की अवस्था में जितनी अवधि के लिए छात्र शिक्षण शुल्क का भुगतान कर चुका है वह शुल्क पुनः नहीं देना होगा । ऐसे छात्र को, महाविद्यालय के शुल्क भुगतान करने संबंधी आवश्यक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा ।
3. पूरक प्राप्त छात्रों को प्रवेश के समय तीन माह का अध्यापन शुल्क भुगतान करने संबंधी आवश्यक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा

शुल्क संबंधी रियायतें -

शुल्क रियायत की पात्रता केवल पूर्ण कालिक छात्र को है -

1. छात्राओं को पूर्ण शिक्षण शुल्क की मुक्ति शासन द्वारा है ।
2. सभी वर्ग की छात्राएं शिक्षण शुल्क एवं प्रायोगिक शुल्क से मुक्त होगी ।
3. अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए शिक्षण शुल्क की मुक्ति होगी ।
4. द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के शासकीय कर्मचारी के बच्चों के लिए शासन द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार स्नातक स्तर तक शिक्षण शुल्क मुक्त है ।

5. दो से अधिक माई-बहन इस महाविद्यालय में एक ही सत्र में अध्ययनरत हों तो बड़े को पूर्ण शिक्षण शुल्क तथा शेष को आधा शिक्षण शुल्क देय होगा । अन्य शुल्क सभी को देय होगा ।
6. विद्यार्थी सहायता कोश से भी निर्धन छात्रों (जिसका चयन सहायता कोश समिति द्वारा होगा) को आर्थिक सहायता, शुल्क, पुस्तक आदि उपलब्ध होगी ।

18. पुस्तकालय :-

- (अ) महाविद्यालय से नियमित स्नातक स्तर के छात्रों को पुस्तक निर्गमित होगी । पुस्तकें समय सीमा में लौटाना आवश्यक होगा । अन्यथा एक रुपया प्रतिदिन के हिसाब से विलंब शुल्क लगेगा ।
- (ब) पुस्तकालय की पुस्तकों का रख-रखाव की पूर्ण जवाबदारी छात्र की होगी । निर्गमन के बाद विकृत होने पर पुस्तक या तो नई वसूली जायेगी अथवा वर्तमान मूल्य के डेढ़ गुना मूल्य तथा पांच रुपये अर्थादण्ड वसूला जायेगा ।

19. पाठ्येत्तर क्रियाकलाप :-

- (अ) खेलकूद - महाविद्यालय में छात्रों के लिए विभिन्न खेलकूद की सुविधा है - हॉकी, फूटबाल, क्रिकेट, बास्केटबाल, बैडमिंटन, शतरंज आदि एथलेटिक्स ।
- (ब) सांस्कृतिक गतिविधियां ।

20. प्रावीण्यता पदक (स्वर्ण मंडित) :-

संस्था में विभिन्न कक्षाओं में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले मेधावी छात्र/छात्राओं को दानदाता/नागरिकों द्वारा प्रदत्त प्रावीण्यता पदक प्रदान किया जाता है ।

21. छात्रवृत्तियाँ :-

छ.ग. शासन द्वारा बी.पी.एल. अनु.जाति, अनु. जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक छात्रवृत्तियां, पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्तियां दी जाती है ।

22. आचार-संहिता :-

प्रत्येक छात्र/छात्रा को यह ध्यान रखना होगा कि उनके आचरण से महाविद्यालय की प्रतिष्ठा एवं कीर्ति में निरंतर वृद्धि हो । अनुशासन का सदा पालन करें । कभी भी अश्लील या अशोभनीय व्यवहार न करें । धूम्रपान एवं मादक पदार्थों का सेवन वर्जित है । कॉलेज की संपत्ति, भवन, पुस्तकालय, प्रयोगशाला आदि की सुरक्षा प्रत्येक छात्र का दायित्व है । आंदोलन, हिंसा, आतंक आदि द्वारा किसी समस्या का हल न निकालें अपितु उन्हें गुरुजन अथवा प्राचार्य के समक्ष विनम्रतापूर्वक प्रस्तुत करें । दलगत राजनीति दलों अथवा समाचार पत्रों के माध्यम से हस्तक्षेप नहीं करेंगे । छात्र अध्ययन एवं पाठ्येत्तर कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से भाग लेगा तथा परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग दुराचार माना जायेगा । महाविद्यालय द्वारा निर्धारित सभी नियमों एवं अनुशासन का पालन आवश्यक होगा । उन नियमों का भंग होने पर छात्र/छात्रा को कॉलेज से निष्कासित किया जा सकेगा, जिसकी जवाबदारी स्वयं छात्र/छात्रा की होगी ।

सामान्य नियम :-

छत्तीसगढ़ के शासकीय महाविद्यालय में प्रवेश लेने वाले प्रत्येक विद्यार्थियों को महाविद्यालय के नियमों का अक्षरशः पालन करना होगा । इनका पालन न करने पर वह शासन द्वारा निर्धारित दण्डात्मक कार्यवाही का भागीदार होगा ।

1. विद्यार्थी शालीन वेशभूषा में महाविद्यालय में आयेगा । किसी भी स्थिति में उसकी वेशभूषा उत्तेजक नहीं होना चाहिए ।
2. प्रत्येक विद्यार्थी अपना पूर्ण ध्यान अध्ययन में लगायेगा, साथ ही महाविद्यालय द्वारा आयोजित पाठ्येत्तर गतिविधियों को भी पूरा सहयोग प्रदान करेगा ।
3. महाविद्यालय परिसर में वह शालीन व्यवहार करेगा, अभद्र व्यवहार असंसदीय व्यवहार का प्रयोग गाली गलौच, मारपीट या अपने अस्त्रों का प्रयोग नहीं करेगा ।
4. प्रत्येक विद्यार्थी अपने शिक्षकों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों से नम्रता एवं भद्रता का व्यवहार करेगा ।
5. महाविद्यालय को स्वच्छ बनाये रखना प्रत्येक विद्यार्थी का नैतिक कर्तव्य है, वह सरल निव्यसन और मितव्ययी जीवन निर्वाह करेगा ।

6. महाविद्यालय तथा छात्रावास की सीमाओं में किसी भी प्रकार के मादक पदार्थों का सेवन सर्वथा वर्जित रहेगा
7. महाविद्यालय में इधर-उधर थूकना, दीवालों को गंदा करना या गंदी बातें लिखना सख्त मना है। विद्यार्थी असमाजिक तथा अपराधिक गतिविधियों में संलिप्त पाये जाने पर कठोर कार्यवाही की जायेगी।
8. वह अपने मांगों का प्रदर्शन आंदोलन, हिंसा या आतंक फैलाकर नहीं करेगा। विद्यार्थी अपने आप को दलगत राजनीति से दूर रखेगा तथा अपनी मांगों को मनवाने के लिए राजनीति दलों, कार्यकर्ताओं अथवा समाचार पत्रों का सहारा नहीं लेगा।
9. महाविद्यालय परिसर में मोबाइल का उपयोग पूर्ण प्रतिबंधित रहेगा।

अध्ययन संबंधी नियम :-

1. प्रत्येक विषय में विद्यार्थी की 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य होगी तथा यह एन.सी.सी./एन.एस.एस. में भी लागू होगी।
2. विद्यार्थी प्रयोगशाला में उपकरणों का उपयोग सावधानी पूर्वक करेगा। उनको स्वच्छ रखेगा एवं प्रयोगशाला को साफ सुथरा रखेगा।
3. ग्रंथालय द्वारा स्थापित नियमों का पूर्ण पालन करेगा, उसे निर्धारित संख्या में ही पुस्तकें, प्राप्त होगी तथा समय में न लौटाने पर निर्धारित अर्थदण्ड देना होगा।
4. अध्ययन से संबंधित किसी भी कठिनाई के लिए वह गुरुजनों के समक्ष अथवा प्राचार्य के समय शांतिपूर्वक ढंग से अभ्यावेदन करेगा।
5. व्याख्यान कक्षाओं, प्रयोगशाला या वाचनालय में पंखे, लाईट, फर्नीचर, फिटिंग आदि की तोड़फोड़ करना दण्डात्मक आचरणमाना जायेगा।

परीक्षा संबंधी नियम :-

1. विद्यार्थी को सत्र के दौरान होने वाली सभी इकाई परीक्षाओं, त्रैमासिक तथा अर्धवार्षिक परीक्षाओं में सम्मिलित होना अनिवार्य है।
2. अस्वस्थतावश आंतरिक परीक्षाओं में सम्मिलित न होने की स्थिति में विद्यार्थी शासकीय चिकित्सालय से मेडिकल सर्टीफिकेट प्रस्तुत करेगा तथा स्वस्थ होने उपरांत परीक्षा देगा।
3. परीक्षा में सा उसके संबंध में किसी प्रकार के अनुचित साधनों का प्रयोग करने का प्रयत्न गंभीर दुराचरण मना जायेगा।

महाविद्यालय प्रशासन का अधिकार क्षेत्र :-

1. यदि छात्र किसी अनैतिकता मूलक या गंभीर अपराध में अभियुक्त पाया गया तो वह उसका प्रवेश तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा।
2. यदि छात्र रैगिंग में लिप्त पाया गया तो छत्तीगढ़ शैक्षणिक संस्थानों में प्रताड़ना प्रतिशोध अधिनियम, 2001 के अनुसार रैगिंग किये जाने पर अथवा रैगिंग के लिए प्रेरित करने पर पांच साल तक कारावास की सजा या पांच हजार रुपये अथवा दोनों से दंडित किया जा सकता है।
3. यदि विद्यार्थी समय-सीमा में शुल्क का भुगतान नहीं करता तो उसका नाम काट दिया जायेगा।
4. यदि विद्यार्थी किसी भी प्रार्थना पत्र अथवा आवेदन में तथ्यों को छिपायेगा अथवा गलत प्रस्तुत करेगा तो उसका प्रवेश निरस्त कर उसे महाविद्यालय से पृथक कर दिया जायेगा। महाविद्यालय में प्रवेश लेने हेतु अनिवार्य है और यह हस्ताक्षर प्रवेश समिति के सन्मुख करेंगे।

23. बुक बैंक :-

महाविद्यालय में निर्धन एवं प्रतिभाशाली छात्रों के लिए अनुसूचित जाति/जनजाति एवं बी.पी.एल. बुक बैंक की सुविधा है, परीक्षा अवधि तक के लिए पुस्तकों का डेढ़ गुना मूल्य जमा कर पुस्तकें ली जा सकती हैं,

- विशेष - 1, महाविद्यालय में उत्पन्न किसी भी समस्या व मामले पर प्राचार्य का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा,
- 2, प्रवेश के नियमों में छ,ग, शासन से प्राप्त निर्देशों के अनुसार परिवर्तन किया जा सकता है,

प्राचार्य

शासकीय रानी अवंती बाई लोधी महाविद्यालय

धुमका (छ.ग.)

लोक सेवा गारंटी - अनुसूची

क्र. सं.	कार्यालय/निकाय/ अभिकरण का नाम	छ.ग. लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 हेतु सेवा जो प्रदाय की जानी है	सेवा प्रदाय करने की समय-सीमा (कार्य दिवस)	सेवा प्रदाय करने वाले पदाभिहित प्राधिकारी (पद)	सक्षम अधिकारी	अपीलीय प्राधिकारी
	समस्त प्राचार्य, शासकीय महाविद्यालय (छात्रों से संबंधित)	सभी प्रकार के रिफंड का भुगतान	15 दिन	प्राचार्य	कलेक्टर	संभागीय आयुक्त
		समस्त महाविद्यालय में प्रवेश के आवेदनों का निपटारा	प्रवेश हेतु निर्धारित अंतिम तिथि तक	प्राचार्य	कलेक्टर	संभागीय आयुक्त
		अ. छात्रवृत्ति स्वीकृति	30 दिन के भीतर	प्राचार्य	कलेक्टर	संभागीय आयुक्त
		ब. छात्रवृत्ति का भुगतान	15 दिवस	प्राचार्य	कलेक्टर	संभागीय आयुक्त
		पुस्तकों का प्रदय	15 कार्य दिवस	प्राचार्य	कलेक्टर	संभागीय आयुक्त
		स्थानांतरण प्रमाण पत्र जारी करना	7 कार्य दिवस	प्राचार्य	कलेक्टर	संभागीय आयुक्त
		परिचय पत्र जारी करना	15 कार्य दिवस	प्राचार्य	कलेक्टर	संभागीय आयुक्त
		छात्रावास में प्रवेश	15 कार्य दिवस	प्राचार्य	कलेक्टर	संभागीय आयुक्त
		मार्कशीट, चरित्र प्रमाण पत्र	30 कार्य दिवस	प्राचार्य	कलेक्टर	संभागीय आयुक्त

सूचना का अधिकार अधिनियम - 2005

जन सूचना अधिकारी (स) -

प्रो. रोहन प्रसाद (सहा. प्राध्या. अर्थशास्त्र) मो. 9993785427

**Govt. Rani Avanti Bai Lodhi College, Ghumka
Distt. Rajnandgaon (C.G.)**

ANTI RAGGING AFFIDAVITS BY STUDENTS AND PARENTS/GUARDIANS

Field marked with *are compulsory

Personal Details :-

1. Student's Family Name* :
2. Student's Middle Name :
3. Student's First Name* :
4. Gender (Male/Fmale)* :
5. Nationality* :
6. Student's Mobile No.* :
7. Student's Friends Mobile No.* :
(in case of an emergency)
8. Landline Number* :
9. Student's email ID* :
10. Confirm Student's email ID* :
11. Permanent Address* (1) :
Address* (2) :
- City* State*

Parent / Guardian Details :-

1. Parent / Guardian Name* :
2. Parent / Guardian Address* (1) :
Address* (2) :
- City* State*
3. Residence Phone No.* :
4. Mobile No. of Parent/Guardian* :
5. Parent/Guardians Email ID* :

**Govt. Rani Avanti Bai Lodhi College, Ghumka
Distt. Rajnandgaon (C.G.)**

REGISTRATION OF APPLICATION FOR SCHOLARSHIP

1. Application Name of first Meddle Name
- Last Name Class
2. Father's Name Mother Name
3. Date of Birth (DD/MM/YYYY)
4. Category (ST/SC/OBC)
5. Mobile Number / Telephone No.
6. Correspondence Address Details -
State Address
- District Pin Code
7. Permanent Address Details-
State Address
- District Pin Code
8. Enrollment Number Enrollment Date
9. Admission Date (DD/MM/YYYY)
10. 10th PASS DETAILS -
Name of Board 10th pass Roll No.
- Year of Passing
11. Total Annual Income (Family)
12. Caste Certificate No.
- Cast Certificate issue date

Applicant Signature

शासकीय रानी अवंतीबाई लोधी महाविद्यालय, घुमका, जिला-राजनांदगांव (छ.ग.)

डॉ. आई.आर. सोनवानी (प्राचार्य)

1.	डॉ. के.डी. देशलहरा	सहायक प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष (हिन्दी)
2.	डॉ. एस. डी. त्रिपाठी	सहायक प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष (वाणिज्य)
3.	प्रो. रोहन प्रसाद	सहायक प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष (अर्थशास्त्र)
4.	डॉ. बी.के. देवांगन	सहायक प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष (समाजशास्त्र)
5.	रिक्त	राजनीति शास्त्र
6.	रिक्त	इतिहास
7.	रिक्त	अंग्रेजी
8.	रिक्त	गणित
9.	रिक्त	वनस्पति शास्त्र
10.	प्रो. एस.एन. कामठी	सहायक प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष (प्राणीशास्त्र)
11.	रिक्त	भौतिक शास्त्र
12.	प्रो. प्रिती खुरसौल	सहायक प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष (रसायन शास्त्र)
13.	श्री सगराम वर्मा	सहायक ग्रेड-2
14.	श्री दुर्गा प्रसाद चौधरी	सहायक ग्रेड-3
15.	रिक्त	प्रयोगशाला तकनीशियन
16.	रिक्त	प्रयोगशाला तकनीशियन
17.	रिक्त	प्रयोगशाला तकनीशियन
18.	रिक्त	प्रयोगशाला तकनीशियन
19.	रिक्त	प्रयोगशाला परिचारक
20.	रिक्त	प्रयोगशाला परिचारक
21.	रिक्त	प्रयोगशाला परिचारक
22.	रिक्त	प्रयोगशाला परिचारक
23.	रिक्त	भृत्य
24.	रिक्त	भृत्य
25.	श्री रमेश कुमार यादव	बुक लिफ्टर
26.	श्री लालचन्द समुन्द्रे	स्वच्छक
27.	श्री श्यामलाल धोबी	चौकीदार
28.	श्री महेश कुमार वर्मा	सफाई कर्मचारी (ज.भा.मद)
29.	श्री उमेश कुमार साहू	कम्प्यूटर आपरेटर (ज.भा.मद)

टीप :- उच्च शिक्षा विभाग छ.ग. शासन के निर्देशानुसार एवं स्ववित्तीय योजनांतर्गत अध्यापन की व्यवस्था की जाती है ।



महाविद्यालय में
ड्रेस कोड लागू
सत्र 2017-18

राष्ट्रीय
एकता दौड़



वार्षिक उत्सव
2017-18 में
उपस्थित अतिथि
एवं महाविद्यालय
परिवार की झलक



वार्षिक उत्सव
2017-18 में
उपस्थित अतिथि
एवं महाविद्यालय
परिवार की झलक

12 जनवरी 2018
रक्तदान शिविर
आयोजन के अवसर
पर मेडिकल कॉलेज
टीम द्वारा प्राचार्य
को प्रमाण-पत्र
प्रदान करते हुए



रक्तदान करते हुए
महाविद्यालय के
छात्र